संख्या–वे0आ0–2–1120/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) श्रम विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा श्रम विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(श्रमायुक्त संगठन)

(1) विभाग में सृजित अपर श्रमायुक्त के 06 पदों में से 02 पद अपर श्रमायुक्त ग्रेड–1 पदनाम से वेतनमान रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) में रखे जायें। अपर श्रमायुक्त ग्रेड–1 के उक्त 02 पदों में से 01 पद मुख्यालय पर तथा 01 पद नोयड़ा कार्यालय में पदस्थापित किया जाये। अपर श्रमायुक्त के शेष 04 पदों का पदनाम अपर श्रमायुक्त ग्रेड–2 रखते हुए वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) यथावत बनाये रखा जाय।

(2) विभाग में उपलब्ध उप श्रमायुक्त के 20 पदों में से 01 पद तथा सहायक श्रमायुक्त के 65 पदों में से 02 पद नोयड़ा कार्यालय में पदस्थापित किये जायें।

(3) श्रम प्रवर्तन अधिकारी रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के 75 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत पदों पर गृह निरीक्षक तथा वर्तमान में कार्यरत हितकारी अधीक्षक के पद पर कार्यरत 05 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था रखी जाय। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/ वाणिज्य के साथ

स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम संबंध/श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/समाजशास्त्र/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबन्धन/कार्मिक प्रबन्धन **में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि** की अर्हता निर्धारित करते हुए उच्चीकृत वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) तात्कालिक प्रभाव से निर्धारित किया जाय।

(4) सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक के पद को श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पदों में संविलीन किया जाय।

(5) सहायक श्रमायुक्त वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3,रू0 15600–39100 एवं रू0 5400/–) के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य, समाज कार्य/ कल्याण, व्यापार प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन में परास्नातक उपाधि की अर्हता निर्धारित की जाय।

(6) सहायक श्रमायुक्त (महिला) के पद को सहायक श्रमायुक्त के पदों में संविलीन कर दिया जाय।

(7) चिकित्सा अधीक्षक (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक), चिकित्सा–धिकारी (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी) तथा अन्य चिकित्सीय पद यथा फार्मेसिस्ट, नर्स, मिडवाईफ एवं दाई आदि तथा हितकारी सवंर्ग के कतिपय समूह "घ" के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय।

(8) व्यालर संगठन के कार्य एवं उत्तरदायित्वों को देखते हुए इस संगठन को श्रम विभाग से हटा कर उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरिक किये जाने हेतु अन्तर्विभागीय विचार–विमर्श एवं सम्यक् दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर मा0 मंत्रि–परिषद् का आदेश प्राप्त किया जाय।

(9) श्रमायुक्त संगठन में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(10) श्रमायुक्त संगठन के अन्य पदों पर कोई विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं है। अतः श्रमायुक्त संगठन के अन्य पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

(प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय)

(1) सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी के पदों पर स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(2) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी का पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी रखा जाय।

(4) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) को यथावत् बनाये रखते हुए पदनाम सहायक निदेशक रखा जाय।

(5) रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही पदनाम उप निदेशक रखा जाय।

(6) वर्तमान में उपलब्ध पदों की संख्या की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए उप निदेशक के 07 पद, सहायक निदेशक के 22 पद (04 पद निदेशालय के लिए तथा 18 पद मण्डलीय कार्यालयों के लिए), जिला रोजगार सहायता अधिकारी के 72 पद (प्रति जिला एक पद) तथा सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी के 152 पद रखे जायें।

(7) उक्त संस्तुतियों के अनुसार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सेवा संवर्ग का ढ़ाँचा निम्न तालिका के स्तम्भ–3 तथा 4 के अनुसार होगा :––

क0 सं0	वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या	परिवर्तित पदनाम/पद संख्या वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	पद पर भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1–	अपर निदेशक (सेवायोजन)/ 01	अपर निदेशक (सेवायोजन)/01 रू0 14300–18300 (वेतन बैण्ड–4 एवं रू0 8700/–)	शत–प्रतिशत पदोन्नति।
2–	रोजगार विकास अधिकारी/	उप निदेशक/07	सहायक निदेशक से शत–प्रतिशत

	वरिष्ठ शोध अधिकारी / 06	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 6600 / –)	पदोन्नति।
3–	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी / 34	सहायक निदेशक / 22 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 5400 / –)	आयोग के परामर्श से जिला रोजगार सहायता अधिकारी में से पदोन्नति।
4–	जिला सेवा–योजन अधिकारी / सहायक प्रवर्तन अधिकारी / 55	जिला रोजगार सहायता अधिकारी / 72 7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 एवं रू0 4800 / –)	सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा।
5–	सहायक सेवायोजन अधिकारी / 158	सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी / 152 6500–10500 (वेतन बैण्ड–2 एवं रू0 4600 / –)	स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।

(8) मार्गदर्शन केन्द्रों में उपलब्ध अनुदेशक (भाषा), अनुदेशक (आशुलिपिक) तथा अनुदेशक (सचिवीय पद्धति) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 / –) के स्थान पर उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / –) कराया जाय। उक्त पदों पर निम्नानुसार अर्हता / भर्ती की प्रकिया निर्धारित की जाय :––

(क) अनुदेशक(भाषा) :–– सीधी भर्ती द्वारा।
अनिवार्य अर्हता–

(I) स्नातक (हिन्दी या अंग्रेजी)।
(II) शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या बी0एड / एल0टी0।
अधिमानी अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में दो वर्ष के शिक्षण कार्य का अनुभव।

(ख) अनुदेशक(आशुलिपिक) :––सीधी भर्ती।
अनिवार्य अर्हता–

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि / समकक्ष।

(II) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट व हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति या अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति तथा स्टेनोग्राफी में तीन साल का अनुभव।

(III) डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

(ग) **अनुदेशक (सचिवीय पद्धति)** :––सीधी भर्ती द्वारा।

अनिवार्य अर्हता–

(I) स्नातक(वाणिज्य)

(II) सचिवीय पद्धति (Secretarial Practice)/व्यवसायिक पद्धति (Commercial Practice) में डिप्लोमा।

अधिमानी अर्हता– बी0एड0।

(9) विभिन्न विभागों में उपलब्ध सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध 26 संवर्गो/पदों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ पत्र संख्या–वे0स0–48/दस–10, दिनांक 22 जनवरी, 2010 तथा नवम् प्रतिवेदन भाग–1/2 में दी जा चुकी हैं। अतः प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में उपलब्ध उक्त श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यहाँ संस्तुति देने का अवसर नहीं रह गया है।

(10) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग के वेतनमान संशोधन/वेतन विसंगति का प्रस्ताव विशिष्ट रूप से समिति के संज्ञान में नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(1) अपर निदेशक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान में संशोधन के आवश्यकता नहीं है। परन्तु अपर निदेशक के दो पद (एक पद सामान्य संवर्ग के लिए तथा दूसरा पद विशेषज्ञ संवर्ग के लिए) निदेशालय स्तर पर रखे जायें।

(2) संयुक्त निदेशक के पद पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/– निर्धारित किया जाय। निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक के 02 पद (एक पद प्रशासन एवं दूसरा चिकित्सा उपचार से सम्बन्धित कार्यो हेतु) रखे जायें।

(3) प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक पदनाम से वेतनमान रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) में दो पद उपलब्ध कराये जायें।

(4) वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड–1 पदनाम से वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0

7600/–) में 15 पद तथा मुख्य चिकित्साधिकारी पदनाम से वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) में 09 पद रखे जायें।

(5) विशेषज्ञ वेतनमान रू0 10000– 15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 6600/–) के 65 पदों का पदनाम वरिष्ठ विशेषज्ञ रखा जाय।

(6) वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के वेतनमान रू0 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 6600/–) के 40 पद रखे जायें।

(7) पूर्व उप प्रस्तरों के अनुसार पदों के निर्धारण के उपरान्त संवर्ग में चिकित्साधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 5400/–) के 349 पद शेष रह जायेंगे। उक्त पदों को 65 एवं 40 के अनुपात में विभाजित करते हुए कमशः विशेषज्ञ तथा चिकित्साधिकारी पदनामित किया जाय। तदनुसार वेतनमान रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 5400/–) में विशेषज्ञ के 216 तथा चिकित्साधिकारी के 133 पद निर्धारित होंगे।

(8) विशेषज्ञ के पद पर सीधी भर्ती हेतु एम0एस0/एम0डी0 की अनिवार्य अर्हता निर्धारित की जाय तथा विशेषज्ञ के पद पर प्रारम्भिक वेतन, 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों के साथ दिया जाय।

(9) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के वर्तमान ढ़ाँचे को पूर्व उप प्रस्तर के अनुसार पुनर्गठित करने पर संवर्ग का ढ़ाँचा निम्नानुसार निर्धारित होगा :–

क0 सं0	वर्तमान ढ़ाँचा			पुनर्गठन के उपरान्त ढ़ाँचा		
	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)
1.	अपर निदेशक	01	रू0 16400–20000 (वेतन बैण्ड–4 एवं रू0 8900/–)	अपर निदेशक	02	रू0 16400–20000 (वेतन बैण्ड–4 एवं रू0 8900/–)
2.				(1) संयुक्त निदेशक	02	रू0 14300–18300 (वेतन बैण्ड–4 एवं रू0 8700/–)
				(2) प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	02	
3.	संयुक्त निदेशक	02	रू0 12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0	वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड–1	15	रू0 12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 7600/–)
	मुख्य चिकित्सा	08		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	09	

	अधिकारी		7600/–)			
	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	03				
4.	विशेषज्ञ	77	रू0 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 6600/–)	वरिष्ठ विशेषज्ञ	65	रू0 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 6600/–)
	सहायक निदेशक	04		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	40	
	अधीक्षक	03				
5.	चिकित्सा अधिकारी (एलो0)	386	रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 5400/–)	विशेषज्ञ*	216	रू0 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं रू0 5400/–)
				चिकित्सा अधिकारी(एलो0)	133	
कुल पद संख्या– 484				कुल पद संख्या– 484		

*प्रारम्भिक वेतन, 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों के साथ।

(10) उक्तानुसार पुनर्गठन के उपरान्त उपलब्ध अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद निदेशालय स्तर पर रखे जायें। शेष पदों के पदधारकों की तैनाती हेतु चिकित्सालय/औषधालय का चिन्हीकरण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाय। पुनर्गठन के उपरान्त उपलब्ध सम्बन्धित पदों पर भर्ती की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाय :—

(I) अपर निदेशक के 50 प्रतिशत अर्थात् एक पद पर संयुक्त निदेशक से तथा 50 प्रतिशत अर्थात् एक पद पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा।

(II) संयुक्त निदेशक के पद पर मुख्य चिकित्साधिकारी के पद से तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद पर वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड–1 के पद से पदोन्नति द्वारा।

(III) वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड–1 के पद पर वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद से तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा।

(IV) वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर विशेषज्ञ के पद से तथा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर चिकित्साधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा।

(V) विशेषज्ञ के पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

भरे जायेंगे जिसकी अर्हताएं निम्नवत् होंगी :—

अनिवार्य— **(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0एस0/एम0डी0 की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि।

(ख) राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 में रजिस्ट्रीकृत हो।

अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी0 प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

(VI) चिकित्साधिकारी के पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं निम्नवत् होंगी :—

अनिवार्य— **(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि या उसके समकक्ष।

(ख) राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 में रजिस्ट्रीकृत हो।

अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी0 प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

या

(3) औषधि, शल्य चिकित्सा, वक्ष रोग, स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान, कान, नाक, गला, नेत्र विज्ञान, विकिरण विज्ञान, विकलांग विज्ञान, चर्म रोग, रति रोग और मनो विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

(11) वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) पदनाम से 02 पद वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) में रखे जायें। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के पद पर पॉच वर्ष की सेवा वाले चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) पद के पदधारकों की तैनाती हेतु चिकित्सालय/औषधालय का चिन्हीकरण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाय।

(12) वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक) पदनाम से 02 पद वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) में रखे जायें। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक) के पद पर पॉच वर्ष की सेवा वाले चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक) से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक) पद के पदधारकों की तैनाती हेतु चिकित्सालय/औषधालय का चिन्हीकरण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाय।

(13) भारत सरकार की ई0एस0आई0 से सम्बन्धित नयी योजनाओं को लागू करने हेतु विभाग द्वारा समुचित परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके निर्णय कराया जाय।

(14) समिति द्वारा पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुति के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(15) कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होगी।

(16) कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

(औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय)

(1) औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति/पुनर्नियुक्त की व्यवस्था तथा इन पदो के वेतन निर्धारण की नियमावली में पूर्व से विद्यमान व्यवस्था के दृष्टिगत इनके लिये अलग से कोई संस्तुति दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप इस पद के पदधारक को अपनी संवर्गीय स्थिति के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत इस पद के लिये अलग से किसी संस्तुति की आवश्यकता नहीं है।

(3) न्यायाधिकरण में विद्यमान लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के पद सामान्य कोटि के पद हैं। इन पदों पर उक्त

सामान्य कोटि के संवर्गों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान अनुमन्य कराये जायें।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—1129(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।